अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

स्मरण–पत्र

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः रापक / लेखा / बजट / 2017 /

दिनांकः

समस्त अति. / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, परिवार कल्याण।

विषयः– वर्ष 2017–18 के लिये राज्य निधि के विभिन्न बजट मदो में 03–यात्रा व्यय एवं 04–चिकित्सा व्यय में लम्बित दायित्वों की सूचना भिजवाने के क्रम में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक रापक / लेखा / बजट / 2017 / 1128 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में आपके एवं अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानो / कार्यालयो में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दिनांक 23.08.2017 तक विभिन्न बजट मदो के अन्तर्गत विस्तृत मद यात्रा व्यय – 03, चिकित्सा व्यय–04 में लम्बित दायित्वो की नामवार, कार्यालयवार एवं **लेखामदवार सूचना दिनांक 25.08.2017 तक चाही गई थी** लेकिन उपरोक्तानुसार चाही गई **सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है।**

इस सम्बन्ध में आपको पुनः पत्र प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार यात्रा एवं चिकित्सा व्यय मदो में बकाया दायित्वो की कार्यालयवार नामवार एवं लेखामदवार सूचना निदेशालय को 1.09.2017 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। अन्यथा यह समझा जायेगा की **आपके कार्यालय में यात्रा एवं चिकित्सा व्यय के कोई दायित्व लम्बित नही है** एवं आपके कार्यालय को इन बजट मदो में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नही है। **इस तिथि के बाद में बजट की मॉग की जाने पर** आपकी मांग पर **कोई विचार नही किया जायेगा।**

उक्त व्यय मदो की सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आईडी caofw23@yahoo.com पर भिजवाई जाये एवं हार्ड कॉपी भी इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

वित्तीय सलाहकार (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः रापक / लेखा / बजट / 2017 / 364

दिनांकः 30-8-17

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी सर्वर, कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें तथा संबंधित की ईमेल आइडी पर भी ईमेल करावे।

वित्तीय सलाहकार (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।